When industry giants speak, everyone listens.

In-depth **Q&As** with market mavens — *every Monday* in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

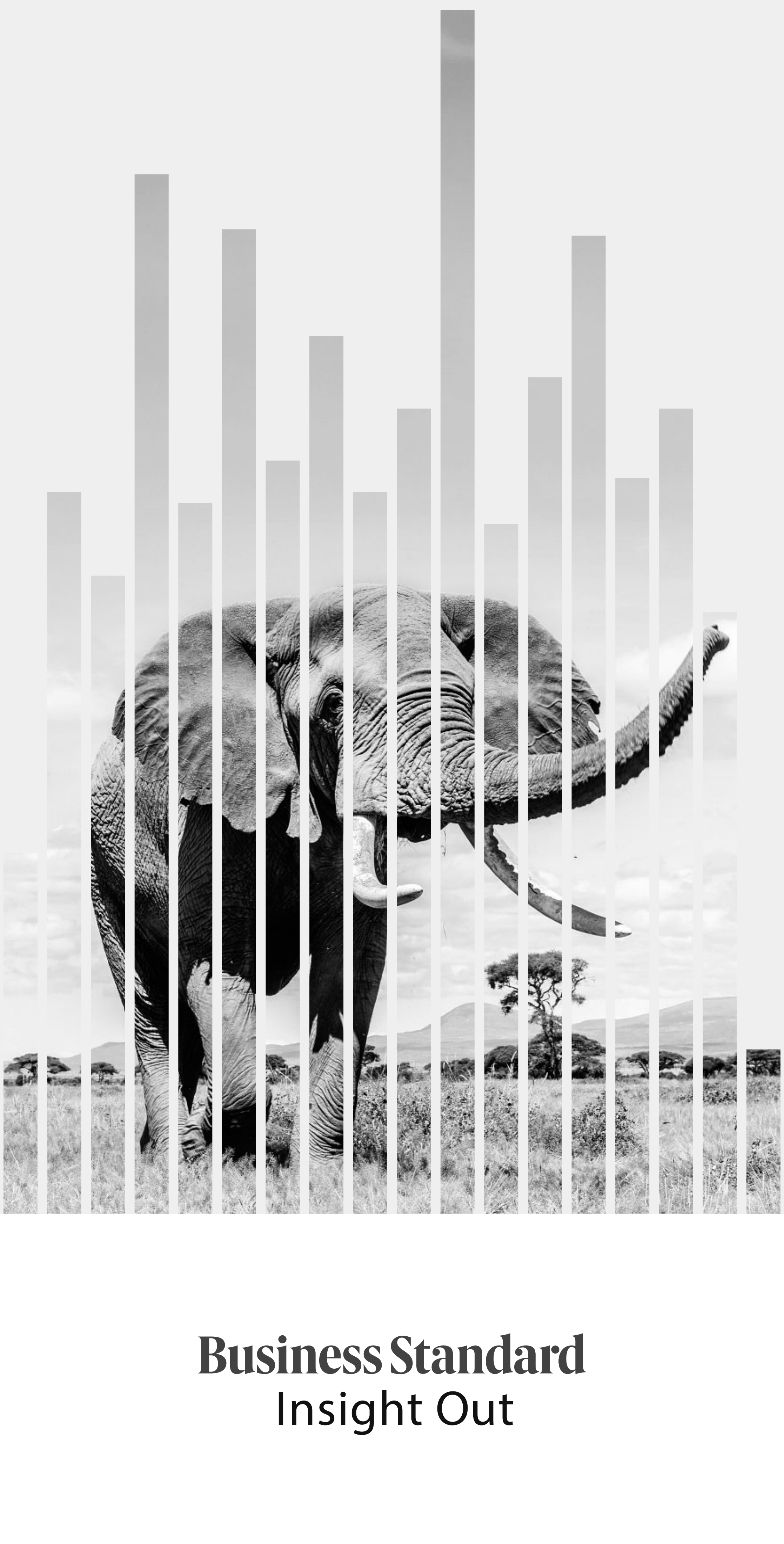

Business Standard
Insight Out

businessstandard bsindia business.standard business-standard.com

Form No. INC-19 Notice
[[Pursuant to rule 22 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

1.Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (4) of section 8 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Regional Director at at B-2 Wing, 2nd Floor, Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Cpmplex, New Delhi-110003, (RD) and an intimation of the same given to Registrar at 4th Floor, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi-110019, for conversion of Fitplex Connector Foundation, a company having license and registered under section 8 of the Companies Act, 2013 into a Private Limited company by the name of Fitplex Connector Foundation Private Limited.

2.The principal objects of Fitplex Connector Foundation Private Limited company on conversion are, as follows:

(a)To establish and run health and fitness centers, gyms, wellness clubs, yoga centers, aerobics, studios, personal training centers, health spas and sports academy and related activities.

(b)To trade in fitness equipment, health supplements, wellness products, clothing and accessories, and all types of goods and services related to fitness and health.

(c)To organize fitness events, workshops, competitions, camps, and seminars for promoting health and fitness awareness.

3.A copy of the draft memorandum and articles of the proposed company may be seen at Regd. Office of Company-4490, 2nd Floor, 7/21, Makhan Lal Street, Darya Ganj, Delhi-110002

4.Notice is hereby given that any person, firm, company, corporation or body corporate, objecting to this application may communicate such objection to the RD / Registrar within thirty days from the date of publication of this notice, by a letter addressed to the RD / Registrar at addresses mentioned in para 1 above, a copy of which shall be forwarded to the Applicant at Fitplex Connector Foundation Private Limited.

Dated **04.04.2026**
Name(s) of Applicant
FITPLEX CONNECTOR FOUNDATION

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that Mrs. Manju Devi is the owner of the Residential Plot area measuring 150 sq. yards i.e. 125.41 sq. meters comprised in Khasra No. 352 situated Vandana Vihar Khoda Colony Pargana Loni Tehsil and District Ghaziabad by virtue of Sale Deed dated 30.12.2003 bearing Document No. 15807. That the **Original Sale Deed dated 30.12.2003** executed by Mr. Vinod in favour of Mr. Purushottam Singh in respect of the Residential Plot area measuring 150 sq. yards i.e. 125.41 sq. meters comprised in Khasra No. 352 duly registered with Sub-Registrar-II Ghaziabad as Document No. 15807 which part of the previous chain documents is lost and not available and FIR for the same has been lodged vide LR No: 205790/2026 Now, Mrs. Manju Devi is availing the Loan from **Aavas Financiers Limited**. If any body find the deed or has any charge/interest/title in the said property or any kind of dispute kindly inform the undersigned in writing on the below mentioned address within 7 days of the present.

Sahwaj Shekh, Advocate
Senior Legal Manager, North Eye Advisors
B-220, 2nd Floor, Noida One, Tower-B, Sector-62, Noida, UP-201309 Email Id- ncr@northeye.co.in, Contact No.-7294177027

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that **Mr. Abhishek Sharma** S/O Late Mr. Mahesh Chand Sharma; **and (2) Mr. Parikshit Sharma** S/O Late Mr. Mahesh Chand Sharma became the owner of the **Residential Plot No. 109, Having Area 61 Square Meter**, Situated at Residential Colony Known as Vasundhara, Sector- 5, Tehsil Ghaziabad, District Ghaziabad, Uttar Pradesh after the death of his mother **Mrs. Yogesh Sharma** who acquired the aforesaid property by virtue of Sale Deed dated 20.12.2004 bearing Reg. no. 25495 and Now, **Mr. Abhishek Sharma** S/O Late Mr. Mahesh Chand Sharma **and (2) Mr. Parikshit Sharma** S/O Late Mr. Mahesh Chand Sharma are availing the Loan from **Aavas Financiers Limited**. If any body has any charge/interest/title in the said property or any kind of dispute kindly inform the undersigned in writing on the below mentioned address within 7 days of the present.

Sahwaj Shekh, Advocate
Senior Legal Manager, North Eye Advisors
B-220, 2nd Floor, Noida One, Tower-B, Sector-62, Noida, UP-201309 Email Id- ncr@northeye.co.in, Contact No.-7294177027

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that Mr. K.V. Venkateswaran (S/o Late Sh. K.V. Vaidyanathan) claims to be the absolute & undisputed owner and in possession of **Entire Third Floor with roof rights out of Property No.20, land area measuring 200 Sq. Yards, Block-E, Green Park Extension, New Delhi** (said property) on the basis of Relinquishment Deed dated 21.05.2025 executed by Mrs. Lakshmi Venkateswaran through attorney Mr. Nitish Kumar (D/o Late Sh. K.V. Vaidyanathan), after the death of her father i.e. Late Sh. K.V. Vaidyanathan, who was the previous owner of said property vide Sale Deed dated 30.12.1963. Now, **One Respective Buyer of ICICI Bank Ltd.** proposes to purchase the aforesaid property from **Mr. K.V. Venkateswaran** by availing the loan facility from our client **ICICI Bank Ltd.** against the security of aforesaid property, If any body has/have any charge/interest/title in the said property or any kind of dispute kindly inform the undersigned in writing on the below mentioned address within 10 days of the present.

Sahwaj Shekh, Advocate
Senior Legal Manager, North Eye Advisors
B-220, 2nd Floor, Noida One, Tower-B, Sector-62, Noida, UP-201309 Email Id- ncr@northeye.co.in, Contact No.-7294177027

Aadhar Housing Finance Ltd

Aadhar Housing Finance Ltd.
Corp.Off.: Unit No. 802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V. Road, Andheri (East), Mumbai – 400069

CORRIGENDUM

It is informed to the general public that in the advertisement published in this newspaper dated **03.04.2026** Regarding **"NOTICE FOR SALE OF PROPERTY THROUGH PRIVATE TREATY"**, The sale of the property of the borrower **Vivek Kumar (Loan Code No. 20210000501/ Noida Sector 31 Branch)** scheduled to be held on **23.04.2026**, has been withdrawn/ canceled due to technical reasons.

Sd/-
Authorised Officer

FORM A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)
FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF AMSURE CONSULTANTS LIMITED

1.	Name of corporate person	**AMSURE CONSULTANTS LIMITED**
2.	Date of Incorporation of Corporate Person	28/07/2004
3.	Authority under which corporate person is incorporated/ registered	ROC Delhi-I
4.	Corporate Identity Number / Limited Liability Identity number of corporate person	U74999DL2004PLC127937
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate person	Level 15 Eros Corporate Towers, Nehru Place, South Delhi, New Delhi, Delhi, India, 110019
6.	Liquidation commencement date of corporate person	31.03.2026
7.	Name , address, email address, telephone number and the registration number of the liquidator	Name: Monika Agarwal Address: 205, Chopra Complex, 8, Preet Vihar Community Centre, New Delhi - 110092 Contact No: 9873924087 Email: cacsmonika.agarwal@gmail.com; liquidator.amsure@gmail.com Regn No: IBBI/IPA-001/IP-P01137/2018-19/11866
8.	Last date for submission of claims	30.04.2026

Notice is hereby given that the **AMSURE CONSULTANTS LIMITED** has commenced voluntary liquidation on **31st day of March 2026.**

The stakeholders of **AMSURE CONSULTANTS LIMITED** are hereby called upon to submit a proof of their claims, **on or before 30th day of April, 2026,** to the liquidator at the address mentioned against item 7.

The financial creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Date: 04.04.2026
Place: New Delhi

Sd/-
(Monika Agarwal)
Regn No.: IBBI/IPA-001/IP-P01137/2018-19/11866

NOTICE FOR LOSS OF SHARE CERTIFICATES

NOTICE is hereby given that the following Certificate (s) for **1763** Equity Shares of **ESCORTS KUBOTA LIMITED** standing in the name (s) of **HARIBHAI MANIBHAI PATEL** has / have been lost or mislaid and the undersigned has / have applied to the company to issue duplicate Certificate (s) for the said shares.

Folio No.	No. of securities held	Security Certificate No.		Distinctive No's	
		From	To	From	To
ESC0009243	700	90022316	90022329	1600305	1601004
	25	90022330	90022330	2890835	2890859
	25	90022331	90022331	3418942	3418966
	25	90022332	90022332	4722683	4722707
	45	90022333	90022333	7281181	7281225
	32	90022334	90022334	11531733	11531764
	500	90022335	90022344	17867003	17867502
	11	90022345	90022345	17867503	17867513
	200	90022346	90022353	26607099	26607298
	200	90022354	90022361	32857099	32857298
TOTAL	**1763**				

Any person who has any claim in respect of the said shares should write to our registrar, **Kfin Technologies Limited**. Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Hyderabad – 500 032 within one month from this date else the company will proceed to issue duplicate Certificate (s).

Date: 03.04.2026
Place: HARYANA

Name (s) of shareholder(s)
HARIBHAI MANIBHAI PATEL

BEL BHILWARA ENERGY Powering the Future

BHILWARA ENERGY LIMITED

CIN: U35100MP2006PLC071693

Regd. Office: C/o HEG Limited, NH-12, Dist Raisen, Near Bhopal, Mandideep, Bhopal – 462 046, Huzur, Madhya Pradesh, India
Corp. Office: Bhilwara Towers, A - 12, Sector - 1, Noida - 201 301, (U.P.), Phone: 0120-4390300 (EPABX), Fax: 0120-4277841
E-mail: ravi.gupta@lnjbhilwara.com; Website: https://www.bhilwaraenergy.com

IN THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, INDORE BENCH, DIVISON BENCH
CA(CAA)/01/MP/2026
IN THE MATTER OF SECTIONS 230 TO 232
AND OTHER APPLICABLE PROVISIONS OF THE COMPANIES ACT, 2013
AND
IN THE MATTER OF COMPOSITE SCHEME OF ARRANGEMENT AMONGST HEG LIMITED AND HEG GRAPHITE LIMITED AND BHILWARA ENERGY LIMITED AND THEIR RESPECTIVE SHAREHOLDERS AND CREDITORS

BHILWARA ENERGY LIMITED, a company incorporated under Companies Act, 1956, having corporate identity number: U35100MP2006PLC071693, and its registered office at C/o HEG Limited, NH-12, Dist Raisen, Near Bhopal, Mandideep, Bhopal – 462 046, Huzur, Madhya Pradesh, India.)))) **… Company/ Third Applicant Company/ Transferor Company**

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE CONVENING MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

Notice is hereby given that by an order dated March 26, 2026 **("Tribunal Order")**, the Indore Bench of the Hon'ble National Company Law Tribunal **("Tribunal")** has directed the meeting to be held of the equity shareholders of the Company, for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the proposed Composite Scheme of Arrangement amongst HEG Limited and HEG Graphite Limited and Bhilwara Energy Limited and their respective shareholders and creditors **("Scheme")** under Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013 **("Act")**.

In pursuance of the Tribunal Order and as directed therein, and in compliance with the applicable provisions of the Act and other applicable laws, further notice is hereby given that meeting of the equity shareholders of the Company will be held through video conferencing **("VC")**/ other audio visual means **("OAVM")**.

Further, notice is hereby given that meeting of the equity shareholders of the Company will be held on Tuesday, May 5, 2026, at 5:30 p.m. (IST).

Notice of the aforesaid meeting together with the copy of the Scheme, explanatory statement under Sections 230 and 232 read with Section 102 and other applicable provisions of the Act and Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 **("CAA Rules")** and accompanying documents have already been sent to the equity shareholders (as on March 27, 2026). The said Notice along with accompanying documents have been sent by electronic mail to those equity shareholders whose email addresses are registered with the Company/ Depository participant(s) / Depositories. Further, the equity shareholders whose email addresses are not available with the Company or who have not received the notice convening the said meeting through electronic mail can access or download the respective notices from the website at https://www.bhilwaraenergy.com and www.hegltd.com.

The notice of the aforesaid meeting together with the copy of the Scheme, explanatory statement under Sections 230 and 232 read with Section 102 and other applicable provisions of the Act and Rule 6 of the CAA Rules and accompanying documents are also placed on the website of the Company https://www.bhilwaraenergy.com, the website of National Securities Depository Limited, being the agency appointed by the Company to provide remote e-voting and e-voting at the meeting and other facilities for convening of the meeting viz. www.evoting.nsdl.com. If so desired, the equity shareholders may obtain a physical copy of the Notice and the accompanying documents, i.e., Scheme and the statement under Section 230 read with Section 102 and other applicable provisions of the Act and Rule 6 of the CAA Rules, free of charge. A written request in this regard, along with the details of shareholding in the Company may be addressed to the company Secretary of the Company at ravi.gupta@lnjbhilwara.com.

The Tribunal has appointed Mr. Ritesh Kumar Sharma, Advocate as the Chairperson for the aforesaid meeting of the equity shareholders of the Company and Mr. S. Alam Khan, Practicing Company Secretary as the Scrutinizer for the aforesaid meeting. The abovementioned Scheme, if approved by the equity shareholders of the Company at their meeting, will be subject to the subsequent sanction of the Tribunal and such other approvals, permissions and sanctions of regulatory or other authorities, as may be necessary.

Since the meeting of the equity shareholders of the Company is being held through video conference, physical attendance of the equity shareholders have been dispensed with. Accordingly, the facility of appointment of proxies by the equity shareholders of the Company will not be available for the meeting.

The equity shareholders of the Company shall have the facility and option of voting on the resolution for approval of the Scheme by casting their votes: (a) through e-voting system available at the meeting to be held through video conference **("e-voting")**; or (b) by remote electronic voting **("remote e-voting")** during the period as stated below:

The cut-off date for e-voting and time period for the remote e-voting of the aforesaid meeting is as under:

Equity shareholders meeting	
Cut off date for e-voting	Tuesday, 28 April 2026
Remote e-voting start date and time	Friday, 1 May 2026 at 9:00 a.m. (IST)
Remote e-voting end date and time	Monday, 4 May 2026 at 5:00 p.m. (IST)

An equity shareholder whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date, i.e., Tuesday, 28 April 2026, only shall be entitled to exercise his / her / its voting rights on the resolution proposed in the notice and attend the meeting of the equity shareholders. The voting rights of the equity shareholders shall be in proportion to their shareholding of the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date, i.e. Tuesday, 28 April 2026.

The equity shareholders may exercise their vote through only one-mode of e-voting i.e. either by remote e-voting or by e-voting at the VC/OAVM meeting. If they opt for remote e-voting, they may attend the VC/OAVM meeting but shall not be entitled to vote at the meeting. In the event they cast their votes through both modes, the votes cast through remote e-voting shall be considered valid and will prevail, and the votes cast at the VC/OAVM meeting shall be treated as invalid.

Equity shareholders who have not registered their e-mail addresses with the Depository Participants ('DPs")/ Registrar and Transfer Agents ("RTAs") are requested to get their email IDs registered with their concerned DPs in respect of shares held in demat mode.

Equity shareholders seeking any information with regard to the Scheme or the matter proposed to be considered at the aforesaid meeting, are requested to write an application through their registered email ID in advance atleast 7 (seven) days before the date of the meeting mentioning their name, Demat Account Number (DP ID and Client ID)/ Folio Number, email ID, PAN and mobile number to the Company at ravi.gupta@lnjbhilwara.com.

In case of queries relating to e-voting, equity shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mahtre, AVP, NSDL at evoting@nsdl.com.

In case of any other queries, equity shareholders may send their queries in advance at least 7 (seven) days before the date of the meeting mentioning their name, Demat Account Number (DP ID and Client ID) / Folio Number, email ID, mobile number and PAN at ravi.gupta@lnjbhilwara.com. These queries will be replied to by the Company suitably.

Date: 03.04.2026

For Bhilwara Energy Limited
Sd/-
Ritesh Kumar Sharma,
Chairperson appointed for the meeting of the equity shareholders of the Company

संक्षेप में

'एपीएसईजेड का 1 अरब टन मालवहन का लक्ष्य'

अरबपति गौतम अदाणी ने शुक्रवार को कहा कि उनके समूह की बंदरगाह इकाई एपीएसईजेड ने वर्ष 2030 तक एक अरब टन माल की ढुलाई का लक्ष्य तय किया है। अदाणी का यह बयान अदाणी पोर्ट्स ऐंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) के 50 करोड़ टन माल ढुलाई की उपलब्धि के बाद आया है। इस अवसर पर अदाणी समूह के चेयरमैन अदाणी ने कहा कि समूह का बंदरगाह नेटवर्क अब भारत और विदेशों में 20 बंदरगाहों के एकीकृत सिस्टम के रूप में विकसित हो चुका है, जिससे यह व्यापार एवं लॉजिस्टिक गतिविधियों का एक प्रमुख आधार बन गया है। *भाषा*

नेमेटशेक का पिनेकल इन्फोटेक संग समझौता

निर्माण क्षेत्र को सॉफ्टवेयर समाधान मुहैया कराने वाली कंपनी नेमेटशेक ग्रुप ने भारत में उन्नत डिजिटल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए पिनेकल इन्फोटेक सॉल्यूशंस के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। जर्मनी की कंपनी नेमेटशेक वास्तुकला, इंजीनियरिंग, निर्माण एवं संचालन के अलावा मीडिया उद्योगों के लिए सॉफ्टवेयर समाधान प्रदान कराती है। कंपनी ने बयान में कहा कि इस एमओयू का उद्देश्य भारतीय निर्माण क्षेत्र में अगली पीढ़ी के डिजिटल परिवर्तन को गति देना है। *भाषा*

हीरो: ई-दोपहिया बाजार में नायक

वित्त वर्ष 26 में इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में हीरो मोटोकॉर्प की बढ़ी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 3 अप्रैल

बाजार में विस्तार

- हीरो मोटोकॉर्प सबसे बड़ी लाभार्थी, बाजार हिस्सेदारी 6.1 फीसदी बढ़ी
- इस बढ़त का मुख्य कारण पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार में जोरदार बिक्री अभियान
- ओला इलेक्ट्रिक की बाजार हिस्सेदारी घटकर एक-तिहाई रह गई, बजाज ऑटो की मामूली बढ़त
- बिक्री के लिहाज से मध्य प्रदेश सबसे तेजी से बढ़ता इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार

इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में यह साल हैरान करने वाला रहा। इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में पिछड़ी रही हीरो मोटोकॉर्प ने वित्त वर्ष 2025-26 में इलेक्ट्रिक दोपहिया में अपने विडा ब्रांड के जरिए सबसे ज्यादा बाजार हिस्सेदारी बढ़ाई। यह ब्रांड सभी प्रतिस्पर्द्धियों में आगे रहा। कंपनी की बाजार हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2025 में महज 4.2 फीसदी थी जो बढ़कर वित्त वर्ष 2026 के अंत में 10.3 फीसदी पर पहुंच गई। इस तरह उसने 6.1 फीसदी की तेज बढ़त दर्ज की गई।

इस बढ़त का बड़ा हिस्सा तीन राज्यों- पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार- में शानदार बिक्री से आया। पश्चिम बंगाल में हीरो मोटोकॉर्प वित्त वर्ष 2026 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। यहां उसकी बाजार हिस्सेदारी 24.4 फीसदी रही, जो वित्त वर्ष 2025 के मुकाबले 15.4 फीसदी अधिक है। ओडिशा और बिहार में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 13 फीसदी और 10.4 फीसदी बढ़ी।

इस अवधि में दूसरी सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का श्रेय एथर एनर्जी को मिला। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 की 11.4 फीसदी हिस्सेदारी को बढ़ाकर वित्त वर्ष 2026 में 17.1 फीसदी पर पहुंचा दिया यानी इसमें 5.7 फीसदी की वृद्धि हुई। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में पांच प्रमुख राज्यों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। गुजरात में 9.7 फीसदी और महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा और राजस्थान में प्रत्येक में 7 फीसदी की बढ़त देखी गई। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक की बाजार हिस्सेदारी एक साल में लगभग एक-तिहाई रह गई। उसकी हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2025 के 29.9 फीसदी से घटकर वित्त वर्ष 2026 में सिर्फ 11.7 प्रतिशत रह गई। वित्त वर्ष 2026 में बजाज ऑटो को मामूली बढ़त मिली और बाजार हिस्सेदारी में महज 0.5 फीसदी का इजाफा हुआ। कंपनी को टीवीएस और हीरो जैसी कंपनियों से कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है।

दिलचस्प यह है कि ऐसे नए राज्य जो पहले ईवी को अपनाने में पीछे थे, वे इस दौरान बड़े बाजार बनकर उभरे। मध्य प्रदेश ने पंजीकरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की और ये वित्त वर्ष 2025 के 73,400 से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 55 फीसदी की बढ़त के साथ 113,500 हो गए। इस राज्य में ईवी अपनाने की दर भी सबसे ज्यादा बढ़ी और यह वित्त वर्ष 2025 के 5.9 फीसदी से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 8.6 फीसदी हो गई।

देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में दिल्ली और ओडिशा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। दिल्ली में पंजीकरण में 51 फीसदी की बढ़त हुई और यह वित्त वर्ष 2025 के 27,200 से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 41,200 हो गए। ओडिशा में वित्त वर्ष 2026 में 79,500 पंजीकरण हुए जो वित्त वर्ष 2025 की तुलना में 42 फीसदी अधिक हैं।

लेकिन इस क्षेत्र को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। वित्त वर्ष 2026 में इलेक्ट्रिक दोपहिया अपनाने की दर 6.5 फीसदी रही जो वित्त वर्ष 2025 की 6.1 फीसदी से मामूली बढ़त है। यह सरकार के 2030 तक 35-40 फीसदी पहुंचाने वाले महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य से बहुत पीछे है।

विमान में मुफ्त सीट चुनने का निर्देश टला

दीपक पटेल
नई दिल्ली, 3 अप्रैल

सरकार ने अपना वह निर्देश रोक दिया है, जिसमें विमानन कंपनियों को किसी भी उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देने के लिए कहा गया था। किराये और इस क्षेत्र की मूल्य-निर्धारण संरचना पर पड़ने वाले संभावित असर के संबंध में उद्योग जगत की शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है।

गुरुवार को जारी बयान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि कम से कम 60 प्रतिशत सीटों का मुफ्त चयन अनिवार्य करने वाले इस प्रावधान को व्यापक समीक्षा पूरी होने तक अगले आदेशों तक के लिए रोक दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि उसने फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआईए) और अकासा एयर से मिली आपत्तियों की जांच की है। उन्होंने इसके परिचालन और वाणिज्यिक असर के बारे में बताया गया है। साथ ही किराए की संरचना और बिना नियमन वाली किराया व्यवस्था के साथ इसके तालमेल को लेकर चिंताएं जताई हैं।

विमानन कंपनियां आम तौर पर सीट की जगह और पैर फैलाने की जगह आदि के आधार पर सीट चयन के लिए शुल्क लेती हैं

18 मार्च को घोषित इस निर्देश में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) से यह सुनिश्चित करने को कहा गया था कि 20 अप्रैल से हर उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के चयन के लिए उपलब्ध कराई जाएं। इसमें यह भी प्रस्ताव था कि एक ही पीएनआर के तहत बुक किए जाने वाले यात्रियों को एक साथ सीटें दी जाएं।

इस कदम का जैसे ही ऐलान हुआ, विमानन कंपनियों ने इसका विरोध किया। 19 मार्च को लिखे पत्र में एफआईए ने इस निर्देश को किसी विमानन कंपनी के परिचालन के वाणिज्यिक पहलुओं में हद से ज्यादा नियामकीय दखल बताया और आगाह किया कि इससे हवाई किराये बढ़ेंगे और किफायती किरायों की उनकी क्षमता कम हो जाएगी। एफआईए के सदस्यों में एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट शामिल हैं।

संगठन ने तर्क दिया कि सीट चुनने के लिए ली जाने वाली फीस आय का वैध स्रोत है, खास तौर पर ऐसे माहौल में जिसमें लागत बहुत ज्यादा हो। उसने यह भी कहा कि विमानन कंपनियां ईंधन, रखरखाव और हवाई अड्डे के शुल्कों जैसे बढ़ते खर्चों की भरपाई के लिए सामान, भोजन और पसंदीदा सीटों जैसे आय के अतिरिक्त स्रोतों पर निर्भर रहती हैं। उसने चेतावनी दी कि इस तरह की आय में किसी भी तरह की कमी होने पर उसकी भरपाई संभवतः मूल किराये में बढ़ोतरी करके की जाएगी, जिसका असर सभी यात्रियों पर पड़ेगा।

उद्योग के अधिकारियों का कहना है कि विमानन कंपनियां आम तौर पर सीट की जगह और लेगरूम (पैरों के लिए जगह) जैसे कारकों के आधार पर सीट चयन के लिए 200 रुपये से लेकर 2,100 रुपये तक शुल्क लेती हैं। वर्तमान में लगभग 20 प्रतिशत सीटें बिना किसी शुल्क के उपलब्ध होती हैं।

मारुति का 8,000 सर्विस टचपॉइंट का लक्ष्य : सीईओ

वाहन विनिर्माता कंपनी मारुति सुजूकी इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी हिसाशी ताकेउची ने शुक्रवार को कहा कि कंपनी अपने सर्विस नेटवर्क को वित्त वर्ष 2030-31 तक बढ़ाकर लगभग 8,000 टचपॉइंट तक पहुंचाने की योजना बना रही है। कंपनी ने बयान में कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में 502 नए सर्विस टचपॉइंट्स जोड़े गए हैं। ताकेउची ने कहा, 'हमारे ग्राहक देशभर में फैले हुए हैं और उनकी जरूरतें लगातार बदल रही हैं। ऐसे में हम अपने सर्विस टचपॉइंट्स का विस्तार और नवाचार कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास 5,926 टचपॉइंट्स हैं और हम वित्त वर्ष 2030-31 तक इसे बढ़ाकर करीब 8,000 करने का लक्ष्य रखते हैं।' *भाषा*

बजाज ऑटो की बिक्री 20% बढ़ी

बजाज ऑटो की मार्च में कुल बिक्री 20 प्रतिशत बढ़कर 4,45,377 इकाई हो गई। मार्च 2025 में यह 3,69,823 इकाई थी। वाहन विनिर्माता कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि मार्च में घरेलू बाजार में कुल बिक्री 2,66,290 इकाई रही, जो एक साल पहले की समान अवधि में 2,21,474 इकाई थी। घरेलू बाजार में दोपहिया वाहनों की बिक्री मार्च 2026 में 20 प्रतिशत बढ़कर 2,21,021 इकाई हो गई जो मार्च 2025 में 1,83,659 इकाई थी। कंपनी ने बताया कि दोपहिया निर्यात भी 21 प्रतिशत बढ़कर 1,59,452 इकाई हो गया जो पिछले वर्ष इसी महीने 1,32,073 इकाई था। वाणिज्यिक वाहन की कुल बिक्री मार्च में 20 प्रतिशत बढ़कर 64,904 इकाई रही जो मार्च 2025 में 54,091 इकाई थी। *भाषा*

फ्लाई-91 करेगी नेटवर्क विस्तार

गोवा स्थित क्षेत्रीय एयरलाइन फ्लाई-91 ने शुक्रवार को अपने नेटवर्क विस्तार के तहत राजमुंदरी, विजयवाड़ा और हुबली के लिए उड़ान शुरू करने के साथ पांच नए क्षेत्रों में भी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की। विमानन कंपनी ने एक बयान में कहा कि ये नई उड़ान सेवाएं 10 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच अलग-अलग चरणों में शुरू होंगी। एयरलाइन ने कहा कि आने वाले हफ्तों में वह इंदौर, नांदेड़ और मंगलौर को भी अपने नेटवर्क में जोड़ने की तैयारी में है। इसके साथ इसके नेटवर्क का विस्तार नौ से बढ़कर 12 गंतव्यों तक हो जाएगा। *भाषा*

5 वर्षों में टैग हॉयर का कारोबार होगा दोगुना

अक्षरा श्रीवास्तव
नई दिल्ली, 3 अप्रैल

भारत है खास बाजार

- कंपनी ने लगभग एक दशक पहले भारत में अपना कॉरपोरेट दफ्तर बंद कर दिया था और संचालन में फिर से बदलाव किया
- अब टैग हॉयर ने कपूर वॉच कंपनी के साथ साझेदारी की है

स्विस घड़ी निर्माता टैग हॉयर ने शुक्रवार को भारत में अपने पहले विशेष बुटीक की शुरुआत की। भारत कंपनी के लिए एक महत्त्वपूर्ण बाजार है, जहां उसका इरादा अगले पांच वर्षों में अपना कारोबार दोगुना करने का है।

टैग हॉयर के पश्चिम एशिया, भारत, अफ्रीका, तुर्किए क्षेत्र के प्रबंध निदेशक गुलियम बायलो ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'भारत हमारे लिए भविष्य का प्रमुख बाजार है। मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिम एशिया, भारत, अफ्रीका और तुर्किए क्षेत्र में बेहतर वृद्धि होगी। हम उम्मीद करते हैं कि देश में अगले पांच साल में हमारा कारोबार दोगुना होगा। हम पहले भी मजबूत थे लेकिन अब अपने साझेदार के साथ फिर से मजबूत वापसी कर सकते हैं। आने वाले पांच साल के लिए रास्ता स्पष्ट है।'

कंपनी ने लगभग एक दशक पहले भारत में अपना कॉरपोरेट दफ्तर बंद कर दिया था और संचालन में फिर से बदलाव किया। अब टैग हॉयर ने कपूर वॉच कंपनी के साथ साझेदारी की है। नई रिटेल पेशकश मुंबई और बेंगलूरु में अगले साल की जाएगी।

बायलो ने कहा, 'हम सभी शहरों में नहीं जाएंगे। पहले दिल्ली, मुंबई और बेंगलूरु में बुटीक शुरू करेंगे। बाजार की प्रतिक्रिया देखकर धीरे-धीरे अन्य शहरों में विस्तार करेंगे। मुंबई में हम 2027 में बुटीक खोलने की योजना बना रहे हैं।'

संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले बायलो ने कहा कि खाड़ी में जारी सैन्य तनाव से उपभोक्ता धारणा प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा, 'लेकिन इससे भारत के ग्राहकों के करीब आने और उनके पास मौजूद रहने का अवसर भी मिल रहा है।'

भारत में लक्जरी सामानों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। फेडरेशन ऑफ स्विस वॉच इंडस्ट्री (एफएच) के अनुसार इस साल जनवरी और फरवरी में भारत ने 5.14 करोड़ स्विस फ्रैंक की स्विस घड़ियां आयात कीं, जो पिछले साल की इसी अवधि से 26.2 फीसदी अधिक हैं।

फीचर फोन के 22 करोड़ ग्राहक चाहें सस्ता स्मार्टफोन

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 3 अप्रैल

देश के 22 करोड़ से ज्यादा फीचर फोन उपयोगकर्ता शुरुआती स्तर वाले स्मार्टफोन में अपग्रेड करना चाहते हैं। लेकिन उनकी इतना खर्च करने की क्षमता नहीं है। यह एक बड़ी चुनौती है। शुरुआती फीचर फोन और शुरुआती स्तर के किसी भरोसेमंद स्मार्टफोन की कीमतों के बीच का अंतर पहले से ही 4,000 रुपये से 6,000 रुपये के बीच है।

यह अंतर बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि मेमरी चिप की कीमतों में इस साल भारी उछाल आने की उम्मीद है। इससे यह उनकी पहुंच से और भी दूर हो जाएगा। उद्योग के अनुमानों के अनुसार मेमरी की कीमतों में वृद्धि से प्रति फोन लागत में 6,000 रुपये से 8,000 रुपये की और बढ़ोतरी होगी।

काउंटरपॉइंट रिसर्च के निदेशक तरुण पाठक का कहना है, '4जी फीचर फोन से 4जी स्मार्टफोन में अपग्रेड करने का मतलब होगा प्रति फोन अतिरिक्त 4,000 रुपये का भुगतान। 5जी के मामले में यह 6,000 रुपये ज्यादा है।

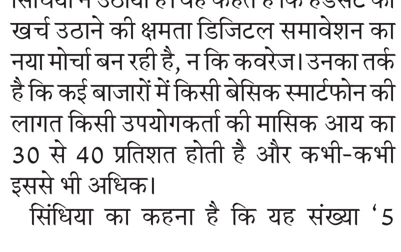

इस साल यह अंतर और बढ़ेगा ही क्योंकि मेमरी की कमी के कारण उनकी कीमतों में खासा इजाफा होगा। इसका एक रास्ता यह हो सकता है कि सरकार किफायती फोन को प्रोत्साहित करे।'

इस मसले को दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उठाया है। वह कहते हैं कि हैंडसेट का खर्च उठाने की क्षमता डिजिटल समावेशन का नया मोर्चा बन रही है, न कि कवरेज। उनका तर्क है कि कई बाजारों में किसी बेसिक स्मार्टफोन की लागत किसी उपयोगकर्ता की मासिक आय का 30 से 40 प्रतिशत होती है और कभी-कभी इससे भी अधिक।

सिंधिया का कहना है कि यह संख्या '5 प्रतिशत आय बेंचमार्क' से बहुत ऊपर है, जिसे खर्च उठाने की क्षमता का अहम स्तर माना जाता है। वह कहते हैं कि पीएलआई (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन) योजना को अब 'मेक इन इंडिया' से 'अफोर्डेबल इन इंडिया' की ओर बढ़ना चाहिए, ताकि अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचा जा सके।

हालांकि पीएलआई मोबाइल योजना 2.0 पर काम कर रहा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्मार्टफोन का निर्यात बढ़ाने पर ध्यान देता दिख रहा है, साथ ही प्रोत्साहनों को मूल्य वृद्धि से जोड़ रहा है। मूल पीएलआई योजना में उसकी पिछली योजना दुनिया में स्वदेशी स्मार्टफोन का चैंपियन बनाने की भी थी, जो सफल नहीं हुई।

पाठक का कहना है कि चुनौती यह है कि 5,000 से 10,000 रुपये तक के फोन की श्रेणी वैसे भी सिकुड़ रही है। उन्होंने कहा, 'यह श्रेणी घट रही है क्योंकि इस श्रेणी में विकल्प कम हैं। 71 प्रतिशत तक 5जी फोन हैं और ऐसे बहुत कम फोन उपलब्ध हैं। मूल उपकरण विनिर्माताओं (ओईएम) के लिए इस श्रेणी में लाभ कमाना मुश्किल है।

Aadhar Housing Finance Ltd

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069

संशोधन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक **03.04.2026** को इसी समाचार पत्र में **निजी संधि के माध्यम से संपत्ति की बिक्री हेतु सूचना** शीर्षक से प्रकाशित विज्ञापन में ऋणी **विवेक कुमार (लोन कोड नं. 20210000501/ नोएडा सेक्टर 31 शाखा)** की सम्पत्ति की बिक्री दिनांक **23.04.2026**, को की जानी थी जिसे तकनीकी कारणों से वापस ले लिया/ निरस्त कर दिया गया है।

ह/-
प्राधिकृत अधिकारी

नेशनल इन्श्योरेन्स कंपनी लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम)
NATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED (A Govt. of India Undertaking)
Trusted Since 1906

एनआईसीएल (NICL), प्रधान कार्यालय में निवेश ट्रेजरी सॉफ्टवेयर (Investment Treasury Software) की खरीद के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं **(RFP संख्या: NICL/INV/RFP/02/2026/ Investment_Treasury_Solution_Software)**। विस्तृत RFP दिनांक **6 अप्रैल, 2026 से 27 अप्रैल, 2026** के बीच **https://nationalinsurance.nic.co.in**, **https://eprocure.gov.in** और **https://gem.gov.in** पर उपलब्ध रहेगा। पूर्ण रूप से भरे गए प्रस्ताव **27 अप्रैल, 2026 को शाम 5 बजे** या उससे पहले नेशनल इंश्योरेंस, प्रधान कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। **Pre-Qualification Bids 28 अप्रैल, 2026** को सुबह 11 बजे खोली जाएंगी। स्पष्टीकरण/संशोधन/शुद्धिपत्र (**clarifications/amendments/ corrigendum**) के लिए कृपया नियमित अंतराल पर उपरोक्त वेबसाइटों को देखते रहें।

KANPUR PLASTIPACK LTD

CIN: L25209UP1971PLC003444
Regd. Office - D-19-20, Panki Industrial Area, Kanpur - 208 022 TEL: +91 (0512) 2691113 – 6; FAX: +91 (0512) 2691117;
Email: secretary@kanplas.com ; Web: www.kanplas.com

Special Window for Transfer and Dematerialisation of Physical Securities

In line with the SEBI Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated January 30, 2026, the Company is pleased to inform that it has opened a one-time Special Window for transfer and dematerialisation of physical securities that were sold or purchased prior to April 01, 2019.
The Special Window shall remain open from **February 05, 2026 to February 04, 2027** and shall also be available for cases where transfer requests were submitted prior to April 01, 2019 but could not be processed or were rejected or returned due to deficiency in documents or for any other reason, subject to fulfillment of the conditions prescribed under the said SEBI Circular.
The securities so transferred shall be credited to the transferee only in dematerialised form and shall be subject to a lock-in period of one (1) year from the date of registration of transfer, in accordance with the SEBI Circular. Eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company or its Registrar and Share Transfer Agent (RTA) within the stipulated period.

Mr. Ankur Srivastava Company Secretary & Compliance Officer **Kanpur Plastipack Limited** D-19-20, Panki Industrial Area, Kanpur-208022 Tel:+91 512 2691113-116 Email: secretary@kanplas.com	**Skyline Financial Services Private Limited** Registrar and Share Transfer Agent D-153/A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi - 110 020 Tel: +91-11-40450193-97, 26812682-83 Email id: info@skylinerta.com

For Kanpur Plastipack Limited
Sd/-
Place: Kanpur **(Ankur Srivastava)**
Date: 03.04.2026 Company Secretary & Compliance Officer

प्रपत्र सं. आईएनसी-26
[कंपनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केंद्रीय सरकार (क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय पीठ-I, नई दिल्ली) के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप-धारा (4) तथा कंपनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के अनुच्छेद (ए) के मामले में
तथा
कसौली हॉस्पिटलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय का पता **ब्लॉक ए3, मकान सं. 41, भूतल, पश्चिम विहार, वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली 110063** है, के मामले में
.... आवेदक
एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र" से "हिमाचल प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित करने हेतु कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 30 मार्च, 2026 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के मद्देनजर कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टी की मांग करते हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन केंद्रीय सरकार के समक्ष आवेदन दायर करने जा रही है। कोई भी व्यक्ति जिनका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित बदलाव से प्रभावित हो सकता है, वे अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के अंदर **एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र भर कर** अथवा उसके कारणों को प्रेषित कर अथवा पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय पीठ-I, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीन दयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली-110003 के समक्ष दर्ज कर सकते हैं साथ में हित की प्रकृति एवं विरोध के कारण, यदि कोई है, का उल्लेख करें एवं उसे हलफनामा द्वारा समर्थित कर भेजें तथा उसकी एक प्रति आवेदक कंपनी के पास उसके नीचे उल्लेखित पते पर स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी भेजें:
"ब्लॉक ए3, मकान सं. 41, भूतल, पश्चिम विहार, वेस्ट दिल्ली, नई दिल्ली 110063"
कसौली हॉस्पिटलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए तथा उनकी ओर से
हस्ता/-
(वरुण अग्रवाल)
दिनांक: 03 अप्रैल, 2026 निदेशक
स्थान: नई दिल्ली डीआईएन: 01976610

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारतीय ऋणषोधनाक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमावली 2017 का विनियम 14]
एमश्योर कंसल्टेंट्स लिमिटेड के हितग्राहियों के ध्यानार्थ

1.	निगमित कंपनी का नाम	एमश्योर कंसल्टेंट्स लिमिटेड
2.	निगमित कंपनीके निगमीकरण की तिथि	28–07–2004
3.	प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत निगमित कंपनी निगमीकृत/पंजीकृत है	आरओसी दिल्ली–I
4.	निगमित कंपनी की निगमित पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74999DL2004PLC127937
5.	निगमित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	लेवल 15 इरोज कॉर्पोरेट टॉवर्स, नेहरू प्लेस, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110019
6.	निगमित कंपनी की परिसमापन आरंभ होने की तिथि	31–03–2026
7.	परिसमापक का नाम, पता, ईमेल पता, दूरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या	नाम : मोनिक अग्रवाल पता : 205, चोपड़ा कॉम्प्लेक्स, 8, प्रीत विहार सामुदायिक केंद्र, नई दिल्ली – 110092 संपर्क नं.: 9873924087 ईमेल : cacsmonika.agarwal@gmail.com; liquidator.amsure@gmail.com पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01137/2018-19/11866
8.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	30–04–2026

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **एमश्योर कंसल्टेंट्स लिमिटेड** ने **31 मार्च 2026** को स्वैच्छिक परिसमापन आरंभ कर दिया है।
एतद्द्वारा **एमश्योर कंसल्टेंट्स लिमिटेड** के हितग्राहियों को निर्देश दिया जाता है कि वे **30 अप्रैल 2026 को अथवा इससे पूर्व प्रविष्टि सं. 7** के समक्ष वर्णित पते पर परिसमापक के पास, अपने दावों का साक्ष्य प्रस्तुत करें।
वित्तीय ऋणदातागण दावों के अपने साक्ष्य केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन्य हितग्राहीगण अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं।
झूठे या भ्रामक दावे के प्रमाण प्रस्तुत करने पर दंड लगाया जाएगा।
हस्ता./–
दिनाँक : 04–04–2026 (मोनिका अग्रवाल)
स्थान : नई दिल्ली पंजी. सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01137/2018-19/11866

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती मंजू देवी, वंदना विहार खोड़ा कॉलोनी परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद में स्थित खसरा संख्या 352 में शामिल आवासीय प्लॉट क्षेत्रफल 150 वर्ग गज यानी 125.41 वर्ग मीटर, बिक्री विलेख दिनांक 30.12.2003 दस्तावेज़ संख्या 15807 के आधार पर मालिक है। यह कि, मूल बिक्री विलेख दिनांक 30.12.2003 को श्री विनोद ने श्री पुरुषोत्तम सिंह के पक्ष में बनाया था, खसरा नंबर 352 में शामिल आवासीय प्लॉट क्षेत्रफल 150 वर्ग गज यानी 125.41 वर्ग मीटर के लिए है, जो उप–पंजीयक–2 गाजियाबाद मे दस्तावेज़ संख्या 15807 के तौर पर विधिवत पंजीकृत है। जो पिछले श्रृंखला दस्तावेज़ का हिस्सा खो गया है और उपलब्ध नहीं है और इसके लिए एलआर नंबर 205790/2026 के द्वारा एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब, श्रीमती मंजू देवी आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड से ऋण ले रही हैं। यदि किसी व्यक्ति को यह विलेख मिलता है या उक्त संपत्ति में कोई प्रभार/हित/स्वामित्व है या किसी भी प्रकार का विवाद है, तो कृपया अधोहस्ताक्षरी को नीचे दिए गए पते पर लिखित रुप में वर्तमान से 7 दिनों के भीतर सूचित करें।
सहवाज शेख, अधिवक्ता
वरिष्ठ विधि प्रबंधक, नॉर्थ आई एडवाइजर्स
बी–220, द्वितीय तल, नोएडा वन, टावर–बी, सेक्टर–62, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201309 ईमेल आईडी– ncr@northeye.co.in
संपर्क संख्या– 7294177027

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री के. वी. वेंकटेश्वरन (पुत्र स्वर्गीय श्री के. वी. वैद्यनाथन), संपत्ति संख्या 20, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज, ब्लॉक–ई, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली के छत अधिकार के साथ संपूर्ण तीसरी मंज़िल के पक्के और बिना किसी विवाद के मालिक और कब्ज़ा में होने का दावा किया है। और (उक्त संपत्ति) श्रीमती लक्ष्मी वेंकटेश्वरन द्वारा अटॉर्नी श्री नीतीश कुमार (पुत्री स्वर्गीय श्री के. वी. वैद्यनाथन) के माध्यम से उनके पिता अर्थात स्वर्गीय श्री के. वी. वैद्यनाथन की मृत्यु के बाद निष्पादित त्याग विलेख दिनांक 21.05.2025 के आधार पर है। जो बिक्री विलेख दिनांक 30.12.1963 के अनुसार उक्त संपत्ति के पिछले मालिक थे। अब, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का एक संबंधित खरीददार, हमारे मुवक्किल आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से ऋण सुविधा लेकर, इस संपत्ति को श्री के. वी. वेंकटेश्वरन से खरीदने का प्रस्ताव रखता है। इसके लिए, यह संपत्ति सिक्योरिटी के बदले में होगी। यदि किसी व्यक्ति का उक्त संपत्ति में कोई प्रभार/हित/स्वामित्व है या किसी भी प्रकार का विवाद है, तो कृपया अधोहस्ताक्षरी को नीचे दिए गए पते पर लिखित रुप में वर्तमान से 10 दिनों के भीतर सूचित करें।
सहवाज शेख, अधिवक्ता
वरिष्ठ विधि प्रबंधक, नॉर्थ आई एडवाइजर्स
बी–220, द्वितीय तल, नोएडा वन, टावर–बी, सेक्टर–62, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201309 ईमेल आईडी– ncr@northeye.co.in
संपर्क संख्या– 7294177027

सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अभिषेक शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री महेश चंद शर्मा और (2) श्री परीक्षित शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री महेश चंद शर्मा, आवासीय कॉलोनी, वसुंधरा, सेक्टर–5, तहसील गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित आवासीय प्लॉट नंबर 109, क्षेत्रफल 61 वर्ग मीटर, के मालिक हैं। अपनी माँ श्रीमती योगेश शर्मा की मृत्यु के बाद, जिन्होंने बिक्री विलेख दिनांक 20.12.2004, पंजीकृत दस्तावेज़ संख्या 25495 के माध्यम उक्त संपत्ति को खरीदी थी। और अब, श्री अभिषेक शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री महेश चंद शर्मा और (2) श्री परीक्षित शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री महेश चंद शर्मा आवास फाइनेंसर्स लिमिटेड से ऋण ले रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति का उक्त संपत्ति में कोई प्रभार/हित/स्वामित्व है या किसी भी प्रकार का विवाद है, तो कृपया अधोहस्ताक्षरी को नीचे दिए गए पते पर लिखित रुप में वर्तमान से 7 दिनों के भीतर सूचित करें।
सहवाज शेख, अधिवक्ता
वरिष्ठ विधि प्रबंधक, नॉर्थ आई एडवाइजर्स
बी–220, द्वितीय तल, नोएडा वन, टावर–बी, सेक्टर–62, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201309 ईमेल आईडी– ncr@northeye.co.in
संपर्क संख्या– 7294177027

SATYA Micro Housing Finance Private Ltd
पंजीकृत कार्यालय : 519, 5वां तल, डीएलएफ प्राइम टावर, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020
कार्पोरेट कार्यालय : 7वां तल, प्रायस हाइट्स, सेक्टर–125, नोएडा–201303

कब्जा सूचना (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के अधीन)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने **सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड** (इसमें आगे **"एसएमएचएफपीएल"** कही गई है) पंजीकृत कार्यालय 519, पांचवां तल, डीएलएफ प्राइम टॉवर, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020 के अधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत नीचे उल्लिखित दिनांक की मांग सूचना जारी की, जिसमें आप कर्जदारों (नीचे दिए गए नाम और पते) से उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना में वर्णित राशि और उस पर ब्याज चुकाने की मांग की गई थी।
निम्नवर्णित कर्जदार राशि चुकाने में असफल रहा है, इसलिए निम्नवर्णित कर्जदार और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के तहत नीचे वर्णित संपत्ति का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया है। एतद्द्वारा उपरिवर्णित कर्जदारों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को उक्त संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार **सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड (एसएमएचएफपीएल)** कि नीचे वर्णित बकाया राशि और उस पर ब्याज के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत आस्तियां छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्र. सं.	कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों) का नाम/ ऋण खाता सं./शाखा	सम्पत्तियों की अनुसूची	मांग सूचना तिथि और राशि	कब्जा की तिथि
1.	**HLNLAPAGR0002823/शाखा : आगरा** 1. राखी 2. गुलशन कुमार 3. आकाश पता 1 : फिरोजाबाद रोड मंडी समिति नगला रामबल नराइच बी.ओ, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत पिनकोड–282006 पता 2 : खसरा नंबर 2097 पर प्लॉट, वाके नगला रामबल, मौजा नारायच, तहसील एत्मादपुर और जिला आगरा पिनकोड–282006	**सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति पता** : खसरा नंबर 2097 पर प्लॉट, वाके नगला रामबल, मौजस नारायच, तहसील एत्मादपुर और जिला आगरा पिन कोड– 282006, सीमाएं : उत्तरः राजेंद्र प्रसाद की संपत्ति, दक्षिणः अन्य की सम्पत्ति,, पूर्वः रोड–8 फीट चौड़ी पश्चिमः सुनीता देवी की सम्पत्ति	16–01–2026 एवं रू. 1,58,204/–	31–03–2026

स्थान : नोएडा हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
तिथि : 31–03–2026 सत्या माइक्रो हाउसिंग फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड

फॉर्म संख्या INC-19 सूचना
[[कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 22 के अनुसार]
1.सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 की उप-धारा (4) के अनुसरण में, फिटप्लेक्स कनेक्टर फाउंडेशन, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत लाइसेंस प्राप्त और पंजीकृत कंपनी है, को फिटप्लेक्स कनेक्टर फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने के लिए क्षेत्रीय निदेशक, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को एक आवेदन किया गया है और इसकी सूचना रजिस्ट्रार, चतुर्थ तल, आईएफसीआई टॉवर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 को दी गई है।
2.फिटप्लेक्स कनेक्टर फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूपांतरण के उपरांत मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
(क) स्वास्थ्य एवं फिटनेस केंद्र, जिम, वेलनेस क्लब, योग केंद्र, एरोबिक्स, स्टूडियो, व्यक्तिगत प्रशिक्षण केंद्र, स्वास्थ्य स्पा और खेल अकादमी तथा संबंधित गतिविधियों की स्थापना और संचालन करना।
(ख) फिटनेस उपकरण, स्वास्थ्य पूरक, वेलनेस उत्पाद, कपड़े और सहायक उपकरण, तथा फिटनेस और स्वास्थ्य से संबंधित सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार करना।
(ग) स्वास्थ्य और फिटनेस जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए फिटनेस कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, प्रतियोगिताएँ, शिविर और सेमिनार आयोजित करना।
3.प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और लेखों की एक प्रति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय-4490, द्वितीय तल, 7/21, माखन लाल स्ट्रीट, दरियागंज, दिल्ली-110002 पर देखी जा सकती है।
4.सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी, निगम या निकाय कॉर्पोरेट, जो इस आवेदन पर आपत्ति करता है, वह इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर आरडी / रजिस्ट्रार को उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित पते पर आरडी / रजिस्ट्रार को संबोधित एक पत्र द्वारा ऐसी आपत्ति बता सकता है, जिसकी एक प्रति फिटप्लेक्स कनेक्टर फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड में आवेदक को भेजी जाएगी।
दिनांक 04.04.2026 आवेदक का नाम फिटप्लेक्स कनेक्टर फाउंडेशन

दिल्ली संस्करण : बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा नीतेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जागरण प्रकाशन लिमिटेड, डी-210-211, सेक्टर-63 नोएडा-201301 उ.प्र. और पृथ्वीस दास, डी.बी. कॉर्प लिमिटेड 10, जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर - 302015 से मुद्रित एवं नेहरू हाउस, 4, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. DELHIN/2008/27804 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 011-23720202/23762742
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं